सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 145/प्रा0पत्र/2025 दायरा दिनांक :–06.06.2025

GCMS ID-2025/190

बउनवान

1. ओमप्रकाश सैनी आयु 37 वर्ष पिता भंवरलाल जाति माली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज.

प्रार्थी

बनाम

1. गोपाल पिता भूरा जाति माली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली
2. धनराज पिता भूरा जाति माली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली
3. कमली पुत्री भूरा जाति माली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली
4. मनभर पुत्री भूरा जाति माली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली
5. मुर्ति पुत्री भूरा जाति माली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली
6. मोहनी पत्नी भूरा जाति माली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली
7. पुष्पा बाई पुत्री भूरा जाति माली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली
8. पुष्पा पत्नी स्वर्गीय छोटूलाल जाति माली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली
9. लाड पुत्री भूरा जाति माली निवासी कालामाल तहसील हिण्डोली
10. राजस्थान राज्य, जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी राज.

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 136 के तहत वास्ते इंद्राज दुरस्ती।

वकील प्रार्थी :– श्री दुर्गालाल बैरवा।
वकील अप्रार्थी :– नरेश कुमार गौड।

निर्णय

दिनांक :– 22/01/2026

उपरोक्त विषय में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि खाता संख्या नया 10 पुराना 8 की भूमि ख.सं. 440,442,489,490,492,599/494 कुल किता 6 कुल रकबा 0.7606 हैक्टेयर व भूमि खाता – संख्या नया 69 पुराना 52 की भूमि ख.सं. 534 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1781 हैक्टेयर वाके ग्राम कालामाल पटवार मण्डल पेचकीबावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विरिथत है, जो प्रार्थी की सहखातेदारी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

दर्ज है। प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी को बाल्यकाल अवस्था मे घर पर प्रकाश व ओमप्रकाश के नाम से पुकारते थे, इस कारण प्रार्थी के पिता की मृत्यु होने के बाद हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थी के घर पर आये बिना व सही जानकारी किये बिना राजस्व रिकार्ड में नामान्तरण खोलते समय प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो के राजस्य रिकार्ड में प्रार्थी का घरेलु नाम प्रकाश पिता भूरा के नाम का इन्द्राज कर दिया, जबकि प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश सैनी पिता भंवरलाल है, इसलिये हल्का पटवारी द्वारा दर्ज किया गया इन्द्राज अवैध एवं निरस्तनीय है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात, आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पासबुक्स, राशन कार्ड, पेनकार्ड आदि में प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश सैनी पिता भंवरलाल दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड की भूमि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियों के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम प्रकाश पिता भूरा दर्ज कर दिये जाने की वजह से प्रार्थी अपनी उपरोक्त भूमि पर सरकारी योजनाओं का लाभ भी नही ले पा रहा है। प्रार्थी का नाम ओमप्रकाश सैनी पिता भंवरलाल है और पहचान के सभी दस्तावेजात में भी ओमप्रकाश सैनी पिता भंवरलाल ही नाम दर्ज है। राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये गये इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर प्रकाश पिता भूरा के स्थान पर ओमप्रकाश सैनी पिता भंवरलाल दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। उक्त नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थी ने पटवारी हल्का के पटवारी के समक्ष व तहसीलदार साहब के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय से आदेश लाये बिना नाम के इन्द्राज को दुरूस्त करने से दिनांक 26.05.2025 को इन्कार कर दिया यही प्रार्थना पत्र का कारण है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमियो के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज अपना नाम प्रकाश पिता भूरा के इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर ओमप्रकाश सैनी पिता भंवरलाल दर्ज करवावे एवं उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाकर सही नाम ओमप्रकाश सैनी पिता भंवरलाल दर्ज करवावे। प्रार्थी के पिता के वारिस अप्रार्थी संख्या 1 लगायत आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है, शेष खातेदारान के विरूद्ध कोई अनुतोष नही चाहने से व आवश्यक पक्षकार नही होने से पक्षकार नही बनाया गया है। उपरोक्त भूमिया वाके ग्राम कालामाल पटवार मण्डल पेचकीबावडी तहसील हिण्डोली जिला बून्दी मे विस्थित होने से एवं श्रीमान लेण्ड रिकोर्ड ऑफिसर होने से लेण्ड ऑफिसर की हैसियत से श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र की

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

...रण संख्या 1 में वर्णित भूमि खाता संख्या नया 10 पुराना 8 की भूमि ख.सं. 440,442,489,490,492,599/494 कुल किता 6 कुल रकबा 0.7606 हैक्टेयर व भूमि खाता संख्या नया 69 पुराना 52 की भूमि ख.सं. 534 कुल किता 1 कुल रकबा 0.1781 हैक्टेयर वाके ग्राम कालामाल पटवार मण्डल पेचकीबावडी तहसील हिण्डोली के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम प्रकाश पिता भूरा के इन्द्राज को दुरूस्त कर उक्त स्थान पर ओमप्रकाश सैनी पिता भंवरलाल दर्ज कर राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9 की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रार्थी का नाम प्रकाश पिता भूरा के स्थान ओमप्रकाश पिता भंवरलाल दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 10 की ओर से तहसीलदार हिण्डोली के पत्रांक :- राजस्व/25/3397 दिनांक :-18.12.2025 से प्राप्त जॉच रिपोर्ट अनुसार मुताबिक ग्राम कालामाल के खाता संख्या 10 व 69 में प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र भूरा सहखातेदार के रूप में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। मजमा-ए-आम में प्राप्त जानकारी व ग्रामवासियों/सहखातेदारान अनुसार उक्त खाता नम्बर में दर्ज प्रकाश पुत्र भूरा व ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल एक ही व्यक्ति के नाम होने से रिकॉर्ड में दर्ज प्रकाश पुत्र भूरा के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल शुद्ध दर्ज किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल है जिसे मुताबिक प्रार्थना पत्र के दुरूस्त किए जाने का कथन किया गया।

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 में वर्णित है कि "भूमि अभिलेख अधिकारी भी समय, किसी लिपिकीय गलती या ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हे शुद्ध करवा सकेगा जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करें या जिन्हे कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस करें। कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जायेगी। जब तक कि पक्षकारों को सुनवाई हेतु नोटिस नहीं किया गया हो, ऐसे प्रावधान दिए हुए है।"

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को एवं अप्रार्थी पेरोकार सरकार एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग कार्ड, बैक खाता डायरी, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत प्रमाण पत्र पेश किए है जिसमें प्रार्थी का सही नाम ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल है। प्रकरण में जबाव अप्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा भी प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष दिया जाना उचित बताया है। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों से प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किये जाने योग्य है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि वाके ग्राम कालामाल प0मं0 पेंच की बावडी के खाता संख्या 10 व 69 में दर्ज प्रार्थी का नाम प्रकाश पुत्र भूरा के स्थान पर ओमप्रकाश पुत्र भंवरलाल शुद्ध दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक :–22.01.2026 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

22/01/2026

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446